

क्रमांक अज./ए.डी./आर.टी.आई./आर/229

दिनांक 01.03.2019

श्री रोशनलाल चौहान पुत्र श्री भंवरलाल
निवासी-974/36 चौहानों का कुआं
धोलाभाटा, अजमेर।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना बाबत।
संदर्भ :- उपखण्ड अधिकारी अजमेर कार्यालय पत्र सं. उखअ/भू.अवा./सू.का.अ./2019/1227
दिनांक 20.02.2019 आवेदक श्री रोशनलाल चौहान के आवेदन के जवाब के संबंध में।

उपरोक्त विषय के अंतर्गत मांगी गई सूचना निम्नानुसार है:-

01. मांगी गयी सूचना अस्पष्ट है।
02. मांगी गयी सूचना रेल विभाग से संबन्धित है।
03. मांगी गयी सूचना अस्पष्ट है। अवाप्ति से संबन्धी मामला माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है। अतः सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

जिसके उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के अनुसार संमस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

dh
8/3
मुख्य महाप्रबन्धक
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

प्रतिलिपि:-

- ✓ श्री एस.के. पाण्डा, डीजीएम एव जन सूचना अधिकारी डी.एफ.सी.सी.आई.एल., नई दिल्ली।
- उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।

